


1. पत्रावली 721 रु 5 | पत्रावली पक्षिका
वकील कार्यवाही द्वारा पत्रावली हेतु अपसर चाही/अभिलि
अपसर दिया गया। पत्रावली वाली पत्रावली दावा
दि. 31.7.24 को पेश होवे।


SDO

31.07.2024
Not Press
दि. 31-7-2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान
उपरिष्पत। वकील वादी प्रकरण में न्यायालय
द्वारा अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट
हैं एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहेते हैं।
वकील वादी ने नोट प्रेस करने का
निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट प्रेस
करने के आधार पर वाद खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
वाद तकमील दाखिल दफतर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा